

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 204 सन 2022

अनवान :-

1. महावीर पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार ढाका पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पृथ्वी पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. पूजा पुत्री पृथ्वीसिंह नाबालिग जरिये कुदरती माता सुमित्रा पुत्री पृथ्वीसिंह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. सुमित्रा देवी पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 39/36 की कुल 0.3480हैक तथा रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0180हैक व रोही मौजा चक 6 केएनएन के 29/31 की कुल 1.5180हैक व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 33/32 की कुल 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा धीराराम वल्द हुक्माराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा धीराराम वल्द हुक्माराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा धीराराम वल्द हुक्माराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो काफी वृद्ध हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति सक बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता धीराराम वल्द हुक्माराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420 हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290 हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109 हैक् व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198 की कुल 6.5400 हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420 हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290 हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109 हैक् व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198 की कुल 6.5400 हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।



उपस्थानाधिकारी (राजस्व)

नगे ह

जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि धीराराम वल्द हुक्माराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा धीराराम वल्द हुक्माराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा धीराराम वल्द हुक्माराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 केएनएन के खाता संख्या 33/21 की 1. 0120 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 344/370 (38) के किला नं. 12, 16 की 0.506 है0 भूमि वादी संख्या 2 तथा किला नं. 13/1 की 0. 026 है0 गै0 मु0 खाला व किला नं. 13/2 की 0.227 है0 भूमि किला नं. 14 की 0.253 है0 भूमि वादी संख्या 1 तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 29/31 की कुल 1.5180 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 341/375 (11) के किला नं. 7, 19, 20 की कुल 0.759 है0 भूमि वादी संख्या 1 तथा किला नं. 14, 17, 18 की 0.759 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को तथा रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0180 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 345/369 (47) किला नं. 21 की 0.253 है0 प0 नं0 347/370 (58) किला नं. 19 की 0.253 है0 कुल 506 है0 भूमि वादी संख्या 1 तथा 347/370 (58) के किला नं. 1/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.270 है0, 10/1 की 0.0060 व किला नं. 20 की 0.253 है0 कुल 0.512 है0 भूमि वादी संख्या 2 व रोही मौजा 1 जेएसएन के खाता संख्या 39/36 की कुल 0.3480 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 357/366 (54) किला नं. 19/2 की 0.760 है0, किला नं. 21/2 की मिन पूर्व 0.019 22/2 की 0.0820 है0 वादी संख्या 1 तथा किला नं. 20/2 की 0.950 है0 किला नं. 21/2 की मिन पश्चिम 0.076 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार ढाका पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
वादीगण

बनाम


1. गंगाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. पृथ्वी पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. पूजा पुत्री पृथ्वीसिंह नाबालिग जरिये कुदरती माता सुमित्रा पुत्री पृथ्वीसिंह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. सुमित्रा देवी पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।
प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 204 सन 2022 निर्णय दिनांक- 05/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 केएनएन के खाता संख्या 33/21 की 1.0120 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 344/370 (38) के किला नं. 12, 16 की 0.506 है0 भूमि वादी संख्या 2 तथा किला नं. 13/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला व किला नं. 13/2 की 0.227 है0 भूमि किला नं. 14 की 0.253 है0 भूमि वादी संख्या 1 तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 29/31 की कुल 1.5180 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 341/375 (11) के किला नं. 7, 19, 20 की कुल 0.759 है0 भूमि वादी संख्या 1 तथा किला नं. 14, 17, 18 की 0.759 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को तथा रोही मौजा 4 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.0180 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 345/369 (47) किला नं. 21 की 0.253 है0 प0 नं0 347/370 (58) किला नं. 19 की 0.253 है0 कुल 506 है0 भूमि वादी संख्या 1 तथा 347/370 (58) के किला नं. 1/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.270 है0, 10/1 की 0.0060 व किला नं. 20 की 0.253 है0 कुल 0.512 है0 भूमि वादी संख्या 2 व रोही मौजा 1 जेएनएन के खाता संख्या 39/36 की कुल 0.3480 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 357/366 (54) किला नं. 19/2 की 0.760 है0, किला नं. 21/2 की मिन पूर्व 0.019 22/2 की 0.0820 है0 वादी संख्या 1 तथा किला नं. 20/2 की 0.950 है0 किला नं. 21/2 की मिन पश्चिम 0.076 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर